

उत्तर पश्चिम रेलवे  
परिचालन विभाग  
प्रधान कार्यालय

सं. टी-6/जीएण्डएसआर/2011/600/2

जयपुर, दिनांक 24.10.2011

मरेप्र-अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर  
प्राचार्य-क्षे. रे. प्र. सं./उदयपुर,

विषय: सामान्य एवं सहायक नियम अध्याय 3- सिगनल व अध्याय 9- स्वचालित (ऑटोमेटिक) ब्लॉक पद्धति।  
संदर्भ: रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2010/सेपटी (ए एण्ड आर)/19/20 दिनांक 26.09.2011।

उपरोक्त वर्णित अध्यायों की अग्रिम संशोधन पर्ची सं. 16 नीचे प्रस्तुत है। यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

संशोधन पर्ची सं. 16, अक्टूबर -2011 सामान्य एवं सहायक नियम-संस्करण 2006।

1. सामान्य नियम 3.12 में उप-नियम (1) (ख)(iii) के पश्चात् पृष्ठ 23 पर निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाये -

“(ख क) विशेष अनुदेशों के अधीन, मध्य-खंड में किसी एक स्वचल रोक सिगनल को परिवर्तित करके एक आधोशित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल; जब ‘ए’ चिन्ह प्रज्वलित हो जाता है तो सिगनल स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करता है, और जब ‘ए’ चिन्ह बुझ जाता है तो यह आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करता है और यह स्वतः ‘ऑफ’ स्थिति में आ जाता है अथवा आवश्यक होने पर इसे हाथ द्वारा ‘ऑफ’ किया जा सकता है; और”।

2. सामान्य नियम 9.01 में उप नियम (2) के पश्चात् पृष्ठ 202 पर निम्नलिखित उप-नियमों को जोड़ा जाये -

“(3) (क) विशेष अनुदेशों के अधीन प्रत्येक दिशा में स्वचल ब्लॉक सिगनल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचल रोक सिगनल को आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है;

(ख) इस प्रकार मुहैया कराये गये मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को ट्रेक सर्किट अथवा एक्सल कांडक्टरों अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशन के सिगनलों के साथ इंटरलॉक किया जायेगा और उसे आगे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जायेगा, संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे चाहे सिगनल सामान्य स्वचल माध्यम में हों या आशोधित अर्ध-स्वचल माध्यम में हो,

(ग) पिछले स्टेशन के एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल को मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जायेगा कि जब ‘ए’ चिन्ह बुझा हो तो एडवांस्ड स्टार्टर स्वयं ‘ऑफ’ होगा या ‘ऑफ’ किया जायेगा जब लाइन मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो; इसी प्रकार, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल स्वतः ‘ऑफ’ होगा अथवा ‘ऑफ’ किया जायेगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो।

(घ) धुंध, खराब मौसम में जब स्पष्ट दिखाई न देता हो, जैसी असामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि में ‘ए’ चिन्ह को बुझाया जा सकता है और इस कार्यवाही से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और अगले स्टेशन का होम सिगनल का ‘ए’ चिन्ह भी बुझ जायेगा;

(ङ) खंड (ग) के अधीन उल्लिखित पर्याप्त दूरी उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित दूरी से कम नहीं होगी।

(च) सामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल एक सामान्य स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करेगा।

(4) (क) जब लोको पायलट यह देखता है कि मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल ‘ऑन’ अवस्था में है तथा ‘ए’ चिन्ह बुझा हुआ है तो वह गाड़ी को सिगनल के पहले ही रोक देगा और इसके बारे में विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा;

(ख) अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर, विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए ‘ए’ चिन्ह के साथ ‘ऑन’ अवस्था में मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है;

(ग) यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में असमर्थ है तो वह सिगनल पर पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल को ‘ऑन’ में पास करेगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा तथा

किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा तथा अगले सिगनल तक दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलेगा तथा उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्यवाई करेगा; और

(घ) लोको पायलट, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल की खराबी की रिपोर्ट देगा।

### 3. सामान्य नियम 9.03 में उप नियम (2) के पश्चात्, पृष्ठ 204 पर निम्नलिखित उप नियमों को जोड़ा जाये –

- “(3) (क) विशेष अनुदेशों के अधीन, प्रत्येक दिशा में स्वचल ब्लॉक सिगनल क्षेत्र में दो स्टेशनों के बीच किसी एक स्वचल रोक सिगनल को आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है;
- (ख) इस प्रकार मुहैया कराये गये मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को ट्रेक सर्किट अथवा एक्सल कांडटरों अथवा दोनों के माध्यम से आगे वाले स्टेशन के सिगनलों के साथ इंटरलॉक किया जायेगा और उसे आगे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रित किया जायेगा, संबंधित संकेत दोनों ओर के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध होंगे चाहे सिगनल सामान्य स्वचल माध्यम या आशोधित अर्ध-स्वचल माध्यम में हो,
- (ग) पिछले स्टेशन के एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल को मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल के साथ इस प्रकार इंटरलॉक किया जायेगा कि जब ‘ए’ चिन्ह बुझा हो तो एडवांस्ड स्टार्टर स्वयं ‘ऑफ’ होगा या ‘ऑफ’ किया जायेगा जब लाइन मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो; इसी प्रकार, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल स्वतः ‘ऑफ’ होगा अथवा ‘ऑफ’ किया जायेगा जब लाइन आगे वाले स्टेशन के होम सिगनल से आगे पर्याप्त दूरी तक क्लियर हो।
- (घ) धुंध, खराब मौसम में जब स्पष्ट दिखाई न देता हो, जैसी असामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल को विशेष अनुदेशों के तहत निर्धारित विधि में ‘ए’ चिन्ह को बुझाया जा सकता है और इस कार्यवाई से यह भी सुनिश्चित होगा कि पिछले स्टेशन का एडवांस्ड स्टार्टर सिगनल और अगले स्टेशन का होम सिगनल का ‘ए’ चिन्ह भी बुझ जायेगा।
- (ङ) खंड (ग) के अधीन उल्लिखित पर्याप्त दूरी उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित दूरी से कम नहीं होगी।
- (च) सामान्य स्थितियों के दौरान, मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल एक सामान्य स्वचल रोक सिगनल के रूप में कार्य करेगा।
- (4) (क) जब लोको पायलट यह देखता है कि मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल ‘ऑन’ अवस्था में है तथा ‘ए’ चिन्ह बुझा हुआ है तो वह गाड़ी को सिगनल के पहले ही रोक देगा और इसके बारे में निर्धारित विशेष अनुदेशों के अधीन अनुमोदित संचार साधनों से अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा।
- (ख) अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर, विशेष अनुदेशों के अधीन विधि और निर्धारित कार्यपद्धति को सुनिश्चित करने के पश्चात् अनुमोदित संचार साधनों से बुझे हुए ‘ए’ चिन्ह के साथ ‘ऑन’ अवस्था में मध्य-खंड आशोधित अर्ध-स्वचल रोक सिगनल से गुजरने के लिए लोको पायलट को प्राधिकृत कर सकता है।
- (ग) यदि लोको पायलट अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क करने में असमर्थ है तो वह सिगनल पर पाँच मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद सिगनल को ‘ऑन’ में पास करेगा और सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा तथा किसी भी बाधा से पहले गाड़ी रोकने के लिए तैयार रहेगा तथा अगले सिगनल तक दस किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही चलेगा तथा उस सिगनल के संकेत के अनुसार कार्यवाई करेगा; और
- (घ) लोको पायलट, अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को मध्य-खंड आशोधित अर्ध स्वचल रोक सिगनल की खराबी की रिपोर्ट देगा।”

मुख्य परिचालन प्रबन्धक

प्रति / –

सचिव सीओएम – उ.प.रे.

वरि. मण्डल परिचालन प्रबंधक – अजमेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर

समस्त विभाग प्रमुख / मुख्य / प्रधान – उ.प.रे.

रेल संरक्षा आयुक्त (पश्चिम परिमण्डल) – चर्चगेट

एडवाइजर / सेपटी – रेलवे बोर्ड

उत्तर पश्चिम रेलवे (NORTH WESTERN RAILWAY)  
प्रधान कार्यालय (HEADQUARTERS OFFICE)  
परिचालन विभाग(OERATING DEPARTMENT)

No. T-6/G&SR/2011/600/2

Jaipur, Date: 24.10.2011

DRMs-AII, BKN, JP, JU  
PZRTI-UDZ

**Sub: G&SR Chapter III- 'SIGNALS' and Chapter IX -'THE AUTOMATIC BLOCK SYSTEM'**

**Ref:** Railway Board's letter No. 2010/Safety (A&R)/19/20 dated 26.09.2011.

An advance copy of Amendment Slip No. 16 to the above mentioned chapters is produced below. This amendment should be brought into force with immediate effect.

---

**Amendment Slip No. 16, October 2011 to the G&SR-2006 Edition.**

**(1) Insert the following clause in G.R. 3.12, in sub-rule (1), after clause (b)(iii) at page No. 27 -**

“(ba) a Modified Semi-Automatic Stop signal by converting one of the Automatic stop signal in mid-section under special instructions; when the ‘A’ marker is illuminated the signal works as Automatic stop signal, and when the ‘A’ marker is extinguished it works as modified Semi-Automatic stop signal and assumes ‘off’ aspect automatically or is taken ‘off’ manually as required; and”.

**(2) Insert the following sub-rules in the G.R. 9.01, after sub-rule (2) at page No. 216 -**

- “(3) (a) under special instructions, one of the automatic stop signal between two stations in the automatic block signalling territory in each direction may be made as modified semi-automatic stop signal;
- (b) the mid-section modified semi-automatic stop signal so provided shall be interlocked with the signals of the station ahead through track circuits or axle counters or both and shall be controlled by the Station Master of the station ahead, the relevant indications whether the signal is in normal automatic mode or modified semi-automatic mode shall be available to the Station Masters at both the ends;
- (c) advanced starter signal of the station in rear shall be interlocked with the mid-section modified semi-automatic stop signal in such a way that when working with ‘A’ sign extinguished, the Advanced starter shall assume ‘off’ aspect or be taken ‘off’ only when the line is clear upto an adequate distance beyond the mid-section modified semi-automatic stop signal ; similarly the mid-section modified semi-automatic stop signal shall assume ‘off’ aspect automatically or be taken ‘off’ only when the line is clear upto an adequate distance beyond the Home signal of the station ahead;
- (d) during abnormal conditions like fog, bad weather impairing visibility, the mid-section modified semi-automatic stop signal may be worked by extinguishing ‘A’ marker in the manner prescribed under special instructions and this action shall also ensure that the ‘A’ marker of the Advanced starter signal of the station in rear and Home signal of the station in advance shall also be extinguished;
- (e) the adequate distance mentioned under clause (c) shall not be less than as prescribed under sub-rule (2);
- (f) during normal condition, mid-section modified semi-automatic stop signal shall work as normal automatic stop signal.
- (4) (a) when the Loco Pilot finds mid-section modified semi-automatic stop signal with ‘A’ marker extinguished in ‘on’ position, he shall stop his train in the rear of the signal and inform this fact to the Station Master of the station ahead on approved means of communication as prescribed under special instructions;
- (b) the Station Master of the station ahead may authorize the Loco Pilot to pass the mid section modified semi-automatic stop signal working with ‘A’ marker extinguished in ‘on’ position

- through approved means of communication after ensuring conditions and procedure prescribed under special instructions;
- (c) in case the Loco Pilot is unable to contact the Station Master of station ahead, he shall pass the signal at 'on' after waiting for five minutes at the signal and proceed cautiously and be prepared to stop short of any obstruction, at a speed not exceeding ten kilometres an hour upto the next Signal and act as per aspect of this signal; and
  - (d) the Loco Pilot shall report the failure of mid-section modified semi-automatic stop signal to the Station Master of the station ahead."

**(3) Insert the following sub-rules in the G.R. 9.03, after sub-rule (2) at page No. 218 -**

- “(3) (a) under special instructions, one of the automatic stop signal between two stations in the automatic block signalling territory in each direction may be made as modified semi-automatic stop signal;
- (b) the mid-section modified semi-automatic stop signal so provided shall be interlocked with the signals of the station ahead through track circuits or axle counters or both and shall be controlled by the Station Master of the station ahead, the relevant indications whether the signal is in normal automatic mode or modified semi-automatic mode shall be available to the Station Masters at both the ends;
  - (c) Advanced starter signal of the station in rear shall be interlocked with the mid-section modified semi-automatic stop signal in such a way that when working with 'A' sign extinguished, the Advanced starter shall assume 'off' aspect or be taken 'off' only when the line is clear upto an adequate distance beyond the mid-section modified semi-automatic stop signal; similarly the mid-section modified semi-automatic stop signal shall assume 'off' aspect automatically or be taken 'off' only when the line is clear upto an adequate distance beyond the Home signal of the station ahead;
  - (d) during abnormal conditions like fog, bad weather impairing visibility, the mid-section modified semi-automatic stop signal may be worked by extinguishing 'A' marker in the manner prescribed under special instructions and this action shall also ensure that the 'A' marker of the Advanced starter signal of the station in rear and Home signal of the station in advance shall also be extinguished;
  - (e) the adequate distance mentioned under clause (c) shall not be less than as prescribed under sub-rule (2);
  - (f) during normal conditions, mid-section modified semi-automatic stop signal shall work as normal automatic stop signal.
- (4) (a) when the Loco Pilot finds mid-section modified semi-automatic stop signal with 'A' marker extinguished in 'on' position, he shall stop his train in the rear of the signal and inform this fact to the Station Master of the station ahead on approved means of communication as prescribed under special instructions;
- (b) the Station Master of the station ahead may authorize the Loco Pilot to pass the mid -section modified semi-automatic stop signal working with 'A' marker extinguished in 'on' position through approved means of communication after ensuring conditions and procedure prescribed under special instructions;
  - (c) in case the Loco Pilot is unable to contact the Station Master of station ahead, he shall pass the signal at 'on' after waiting for five minutes at the signal and proceed cautiously and be prepared to stop short of any obstruction, at a speed not exceeding ten kilometres an hour upto the next Signal and act as per aspect of this signal; and
  - (d) the Loco Pilot shall report the failure of mid-section modified semi-automatic stop signal to the Station Master of the station ahead.”

---

**CHIEF OPERATIONS MANAGER**

Copy: - Secy. to COM  
Sr. DOMs-All, BKN, JP, JU  
All PHODs/CHODs/HODs- NWR  
CRS (Western Circle) - CCG  
Advisor/Safety- Railway Board